राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,मध्यप्रदेश
(लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश)
नियम–पुस्तिका
संविदा विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक

के चयन के लिये
(कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट द्वारा)

(2025–26)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.),मध्यप्रदेश के अन्तर्गत **संविदा विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक** के पद के लिए एम.पी. ऑनलाईन के वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है।

एन.एच.एम. ,म.प्र. **संविदा विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक** के 52 संविदा रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2026 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षो की वार्षिक कार्ययोजनाओं में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा।

संविदा विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक के 52 पद का विवरण :–

पदनाम	कुल पद	अनारक्षित (27%)		अनुसूचित जनजाति (20%)		अनुसूचित जाति (16%)		अन्य पिछड़ावर्ग (27%)		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (10%)		रिक्तियों में से म.प्र. की मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यार्थियों है आरक्षित पदों की संख्या (6%)			
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	(दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि) 1.5 %	बहरे कम सुनने वाले) 1.5 %	(लोको मीटरडिसेबिलटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी कुष्ठ रोग मुक्त बौनापन एसिड अटेक पीडित मस्कुलर डिस्ट्राफी) 1.5 %	(ऑटिज्म, बौद्विक दिव्यांगता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलेटी ओर मानसिक बीमारी ओर बहुविलांगता) 1.5 %
संविदा विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक	52	10	5	6	4	5	3	9	5	3	2	-	2	1	-

- निशक्तजन के लिये **संविदा विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक** के रिक्तियों में से 03 पद नि:शक्त के लिये आरक्षित है, जिस श्रेणी का निशक्तजन इन पदों के लिये चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।
- दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizonatal)के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

सामान्य निर्देशों ,लिखित परीक्षा और ऑनलाईन एडमिट कार्ड/हॉल टिकट की विस्तृत जानकारी के लिये कृपया करे **http://www.nhmmp.gov.in/** **अथवा** **www.mponline.gov.in** **http://iforms.mponline.gov.in** वेबसाईट पर जाए।

ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ दिनांक	**10-08-2026**
आवेदन पत्र त्रृटिसुधार करने की प्रारम्भ दिनांक	**13-08-2026**
ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक	**25-08-2026**
आवेदन पत्र त्रृटिसुधार करने की अंतिम दिनांक	**26-08-2026**

2. अनिवार्य शैक्षणिक एवं अन्य पात्रताऐं –

MBA (2 Years – Any Stream)
OR
Master of Public Health (MPH)
Master of Hospital Management/ Administration
Master of Health Care Management/ Administration
PG Diploma in Hospital Management/ Administration .
PG Diploma in Health Care Management / Administration
(Above all Qualification must be Regular course from recognized university only)

OR
Post Graduate Diploma in Management
Post Graduate Diploma in Business Administration (PGDBA)
(Above all Qualification must be Regular course from recognized university onl

-Essential Computer Qualification:-
Minimum 1 Year Degree/Diploma in Computers.

Essential Experience:
Minimum 2 years of post Essential qualification experience in Health Sector / Public Health Programme with Government /Non Government Sector.

2.1 आवेदन के समय अभ्यर्थियों को निम्नलिखित स्वप्रमाणित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा, इसके बिना आवेदन स्वीकार नही किये जायेगें:–

- हाईस्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा की अंकसूची।
- 10+2 शिक्षा प्रणाली से 12 वीं परीक्षा की अंकसूची।
- कंडिका 2 पर अंकित शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची एवं अनुभव प्रमाण पत्र ।
- उपरोक्त दस्तावेजों में अगर पीछे के पन्नों में भी जानकारी अंकित हो तो उसे भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- मध्यप्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण पत्र (जिस पद पर आरक्षण लागू हो)
- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र एफ 07–11/2019/आप्र/1, दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण पत्र का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र। (आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से उस वित्तीय वर्ष के अंत तक (31 मार्च) वैध रहेगा।)
- उपरोक्त समस्त दस्तावेज, आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त होने के उपरान्त किसी भी दस्तावेज को स्वीकार्य नही किया जावेगा।

नोटः— आवेदक आवेदन/वॉछित अपलोड करते समये आवेदन पत्र में कॉलमवार वॉछित दस्तावेज अपलोड करते समय आवेदन पत्र में कॉलमवार वॉछित समस्त जानकारियों का स्वयं परीक्षण करने एवं संतुष्ट होने के उपरान्त ही फार्म को अपलोड करें, जिससे कि त्रुटि की संभावना नगण्य रहे।

2.2 आयु सीमा की संदर्भ तिथि 01/01/2026.

3 *आयु सीमाः— 21—40 वर्ष (*आयु गणना की संदर्भ तिथि 01/01/2026)
अधिकतम आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन के परिपत्र क्रमांक सी 3—8/2016/1/3 दिनांक जुलाई 04 —2019 एवं समय —समय पर जारी संशोधन लागू समझे जायेगें। (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ,निशक्तःजन/ महिलाओं(अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिये अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट)

स्पष्टीकरणः— आयु की गणना के लिए 10वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र/मार्कशीट या सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य दस्तावेज जो आयु प्रमाण पत्र के लिए जारी किया गया हो, एक वैध /संदर्भ दस्तावेज होगा ,उम्मीदवार की आयु की गणना के लिए अन्य दस्तावेजों पर विचार नही किया जाएगा।

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जायेगी, उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और अधिकतम आयु सीमा ऐसे उम्मीद्वारों के लिये ही होगी, यदि वे मध्यप्रदेश के निवासी है।

4. मानदेय/**वेतनः—**

4.1 चयन के वक्त, उम्मीदवार को **संविदा विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक** के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा और उन्हें **प्रतिमाह 25300/—** रूपये दिया जायेगा।

5. **आरक्षण नियमः—**

5.1 मध्यप्रदेश राज्य आरक्षण नीति चयन और आयु छूट में लागू की जाएगी। इसलिए, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति(एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), महिला और विकलांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और आयु में छूट केवल मध्यप्रदेश के उम्मीद्वारों के अधिवास पर लागू होगी।

5.2 **केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी ही आवेदन के लिये पात्र होगें।**

6. **आवेदन प्रक्रियाः—**

6.1 उम्मीद्वारों को निर्धारित तिथि या उससे पहले एम.पी. ऑनलाईन के वेबसाईट पर उपलब्ध ऑनलाईन आवेदन पत्र (ओएएफ) को भरना और जमा करना होगा। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किये गये आवेदन को वैध नहीं माना जाएगा।

6.2 उम्मीदवारों को आवेदन पत्र जमा करने से पहले निर्देशो और दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।

6.3 आवेदकों को आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य जानकारी [* (आस्ट्रिक) से चिह्निनित)] प्रदान करना आवश्यक है।

6.4 आवेदन में अपूर्ण विवरण या हस्ताक्षर या सहायक दस्तावेजों के साथ तस्वीर के बिना प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया जाएगा।

6.5 आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी विवरण सही तरीके से भरे गये है और समापन तिथि से पहले ऑनलाईन सफलतापूर्वक जमा किए गये है। आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवेदन पत्र पर आवेदक का स्टेट्स ''सफलतापूर्वक सबमिट किया गया है'' आधे भरे हुये आवेदनों को अपूर्ण माना जाएगा और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6.6 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के साथ संलग्न वॉछित अर्हता से संबंधित अपलोड दस्तावेजों के परीक्षण करने का दायित्व एम पी ऑनलाईन का रहेगा।

6.7 एक बार ऑनलाईन फार्म जमा हो जाने के बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, जॉच परिणाम के प्रकाशन के बाद, यदि जॉच परिणाम और उनकी स्थिति के बारे में कोई प्रश्न होगा तो
उम्मीदवारों को उनके प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए 10 दिन (एनएचएम की मंजूरी के आधार पर) दिये जायेगे। जॉच समिति उसी के लिए बनाए गए ऑनलाईन मॉड्यूल पर प्रश्न की प्राप्ति के चार कार्यकारी दिवसों के भीतर उम्मीदवारों के प्रश्न का जवाब देगी। जॉच समिति के निष्कर्ष के आधार पर, उम्मीदवार की जॉच टिप्पणी बदल सकती है।

687 सुधार/अवलोकन अवधि के बाद, जन्मतिथि, श्रेणी (जैसे एस.सी.,एसटी, ओबीसी, ईडब्लयूएस,पीडब्ल्यूडी) आदि में सुधार के लिये अनुरोध पर विचार नही किया जायेगा। इसके संबंध में कोई भी संचार मान्य नही होगा।

6.9 **विकलांग व्यक्ति(पीडब्ल्यूडी) के मामले में, आवेदकों को निम्नलिखित श्रेणियों में पंजीकरण करना होगाः–**

(क) दृष्टिबाधित एवं कम दृष्टि वाले ।

(ख) बहरे कम सुनने वाले।

(ग) लोकोमीटरडिसेबिलिटी सम्मिलित है जैसे सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित मस्कुलर डिस्ट्राफी।

(घ) ऑटिज्म बौद्विक दिव्यंगता स्पेसफिक लर्निग डिसेबिलेटी और मानसिक बीमारी और बहुविलांगता।

6.10 (i) विकलांग (दिव्यांग) हेतु आरक्षित पद के लिए जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता (दिव्यांग) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ii) संविदा विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक पद की विज्ञप्ति में निशक्तःजन की श्रेणी के पद है, उन्हीं पदों की श्रेणी को मान्य किया जावेगा।

7. **चयन प्रक्रियाः–**

7.1 **संविदा विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक** के चयन के लिए एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

7.2 परीक्षा केन्द्र /शहरी भोपाल, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर में उम्मीद्वारों की वास्तविक संख्या के आधार पर परीक्षा केन्द्रों/शहरों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

7.4 **उम्मीदवार ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के दौरान परीक्षा के लिये केन्द्र की च्वाईस प्रदान कर सकते है। केन्द्र का आवंटन निम्नलिखित पर आधारित होगाः–**

(क) केन्द्र की कुल संख्या की उपलब्धता और उम्मीदवारों द्वारा प्रदान की गई केन्द्र प्राथमिकताऐं।

(ख) प्राथमिकताऐं और उपलब्धता समाप्त हो जाने के बाद एम पी ऑनलाईन द्वारा केन्द्र की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा।

7.5 ई–एडमिट कार्ड को एम.पी. ऑनलाईन एवं एनएचएम म.प्र. की आधिकारिक वेबसाईट, एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड **http:// www.mponline.gov.in** एवं **http://iforms.mponline.gov.in** पर परीक्षा तिथि के सात(7) दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा तिथि की घोषणा एम.पी.ऑनलाईन अथवा एन.एच.एम. की आधिकारिक वेबसाईट पर होगी।

7.6 परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र में चार उत्तरों के विकल्पों के साथ 100 एमसीक्यू **(MCQ)** प्रश्न शामिल होगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कोई नेगेटिव अंक नही होगा। चयन के लिए, ऑनलाईन लिखित परीक्षा में प्राप्त उम्मीदवार के अंको को मेरिट रैंक उत्पन्न करने पर विचार किया जाएगा, जिसके आधार पर उम्मीदवार का शार्टलिस्ट किया जाएगा।

7.7 कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में न्यूनतम् उत्तीर्ण अंक इस प्रकार होगे **40% For UR, 36% For EWS, 35% For OBC, and 30% For SC and** ST मेरिट रैंक का परिणाम और उम्मीदवार का शार्टलिस्टिंग इस पर और राज्य आरक्षण नीति के आधार पर होगा।

7.8 उपरोक्त मापदण्डो के अनुसार यदि उम्मीद्वारों की आवश्यक संख्या कुल पदों की संख्या से कम हो जाती है, तो इस स्थिति में **मिशन संचालक, एनएचएम म.प्र.** आवश्यक रूप में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को कम करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगें। दो उम्मीदवारों के बीच बराबरी की स्थिति में, अवरोही क्रम में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वरियता दी जायेगी:–

(i) आयु में बड़े उम्मीद्वार को वरीयता दी जाएगी।

(ii) एक ही जन्मतिथि/उम्र के अभ्यर्थी होने पर, **संविदा विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक** के पद हेतु जो शैक्षणिक अर्हता रखी गई है उसमें शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।

7.9 परीक्षा और चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया को अधिप्रभावी करके कोई भी लाभ देने की कोई संभावना नही है। यदि कोई व्यक्ति कोई भी लाभ प्राप्त करने के बारे में दावा करता है , तो यह व्यवहारिक नहीं है, और उम्मीद्वारों को ऐसे झूठे दावों से सावधान रहना चाहिये।

7.10 उम्मीद्वार को नियमों और चयन मापदण्डो का अवलोकन करना चाहिये और पद के लिये आवेदन करने से पहले पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि कोई उम्मीद्वार परीक्षा के चरणों के दौरान और/या परिणाम की घोषणा के बाद अयोग्य पाया जाता है और उम्मीद्वार द्वारा प्रदान किया गया विवरण गलत पाया जाता हैं तो, इस स्थिति में उम्मीदवार की उम्मीद्वारी प्रक्रिया में किसी भी बिन्दु पर अयोग्य घोषित की जाएगी।

7.11 **निर्हता/अभ्यर्थता रद्द करने का अधिकार:–**

1. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी का सहयोग प्राप्त किया जाना।
2. प्रतिरूपण किया जाना।
3. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण का कार्य करवाया जाना।
4. कूटरचित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
5. रूपान्तरित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना।
6. किसी आवश्यक जानकारी का छिपाया जाना।
7. अनुचित साधन का उपयोग किया जाना। (प्रयास किया जाना)
8. परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टॉफ को कोई धमकी दी जाना।
9. परीक्षा कक्ष में ड्यूटीरत स्टॉफ द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लघंन किया जाना।
10. पुरूष अभ्यर्थी /महिला अभ्यर्थी जिसका एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हो।
11. कोई अभ्यर्थी जिसे 26 जनवरी 2001 के पश्चात् तीसरी जीवित संतान हुई हो।
12. अभ्यर्थी जिस पर अपराधिक मामला लम्बित है या दण्डित किया गया हो।

8. **स्थान आवंटन:–**

8.1 मेरिट रैक और उम्मीदवारों की वरीयताओं के आधार पर आवंटित किया जाएगा।

8.2 उम्मीद्वार के उत्तीर्ण होने के उपरान्त **पदों की पूर्ति हेतु च्वाईस फिलिंग की कार्यवाही पृथक से की जावेगी,** पद के लिए उम्मीद्वार एक से अधिक आवेदन फार्म जमा नही कर सकता है। यदि उसकी उम्मीद्वारी का पता नही लगाया है तो उसकी उम्मीद्वारी को बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया जा सकता है।

8.3 ऑनलाईन फॉर्म भरते समय एक घोषणा के लिए उम्मीद्वारों को सहमत होना होगा कि ''मै पूरी तरह से समझता/समझती हूँ कि उपरोक्त स्थान वरीयता का विवरण ,केवल सूचना के उद्देश्य से मांगे जा रहे है। उम्मीदवार की मेरिट सूची रैंक के आधार पर एनएचएम म.

प्र. के अधिकारियों द्वारा नौकरी की पोस्टिंग का निर्णय लिया जाएगा। मैं उपरोक्त प्रक्रिया के माध्यम से या स्थानों के अपने विवेक और उपलब्धता के अनुसार **एनएचएम म.प्र.** द्वारा निर्धारित पोस्टिंग के स्थान का पालन करने के लिए पूरी तरह सहमत हू।

9. **दस्तावेज सत्यापन प्रक्रियाः–**

(क) उक्त प्रक्रिया द्वारा चयनित किये गये उम्मीदवारों का दस्तावेज सत्यापन आवंटित जिलों से संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) द्वारा किया जायेगा।

(ख) चयनित किये गये उम्मीदवारों को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, जो दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र (व्यक्तिगत, शिक्षा, पंजीकरण आदि) भरते समय पूछे गये थे।

(ग) शार्टलिस्ट किये गये उम्मीदवारों की उम्मीद्वारी जिसके पास विज्ञापन में अपेक्षित ToR के अनुसार आवश्यक क्रेडेंशियल/दस्तावेज/पंजीकरण नही है, उन्हें चयन के लिए रद्द माना जाएगा।

(घ) ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने के समय दी गई घोषणा के अनुसार तथ्यों की गलत व्याख्या के लिए भी उम्मीद्वारो को अयोग्य माना जाएगा।

(ड़) जो उम्मीद्वार निर्धारित समय अवधि के भीतर आवंटित स्थान पर रिपोर्ट नही करेगें, उन्हें पद कार्यग्रहण करने के लिए अन्य अवसर प्रदान नही किया जाएगा, और पद मेरिट सूची में अगले उम्मीद्वार को प्रदान किया जाएगा।

10. **अन्य निर्देश और दिशा निर्देशः–**

10.1 **चयनित उम्मीद्वारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/परिचय पत्र, प्रस्ताव पत्र, मूल और जेरोक्त कॉपी को निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत करने की आवश्यकता हैः–**

(क) 10वीं या माध्यमिक/उच्च माध्यमिक और उम्मीद्वारों के सभी उत्तीर्ण किये हुये पाठ्यक्रम की वार्षिक/सेमेस्टर वार मार्कशीट।

(ख) नवीनतम् पासपोर्ट साईज की दो तस्वीरें।

(ग) मध्यप्रदेश के उपमंडल अधिकारी(राजस्व) द्वारा जारी जाति का प्रमाण पत्र।

(घ) स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र/अधिवास प्रमाण पत्र।

(ड़) नवीनतम् चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र (जिला बोर्ड से) प्रस्ताव पत्र जारी करने की तारीख से 15 दिन से अधिक पुराना नही होना चाहिए।

(च) **संविदा विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक** के चयन के लिए, कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिलिपि, एडमिट कार्ड की मूल और स्व–सत्यापित प्रतिलिपि

(छ) सक्षम अधिकारी जारी कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र

(ज) उपरोक्त प्रमाण पत्र/दस्तावेजों में से किसी के अभाव में उम्मीदवारों को पद के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा और इसके लिए किसी भी प्रतिनिधित्व को स्वीकार नही किया जाएगा।

(झ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निर्धारित छुट्टी के निय **संविदा विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक** के लिये लागू होगें।

(ञ) गर्भवती उम्मीद्वार के लिए, जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र कार्यग्रहण के समय लागू होगा,ओर उपरोक्त प्रमाण पत्र जमा करने पर ही कार्यग्रहण सुनिश्चित किया जायेगा।

(अः) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक 2 जुलाई 2019 के अनुसार लोक सेवा केन्द्र से जारी आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

(ट) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 07–11/2019/आप्र/ 1,दिनांक 29 जून 2021 जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के प्रमाण की संदर्भ में परिपत्र की कंडिका 8.6 का पालन सुनिश्चित किया जाना है।

11. चयन प्रक्रिया के सफल समापन के बाद और **संविदा विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक** के रूप में नियुक्ति के बाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नियमों का निर्धारण और व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी होगा।

11.1 संविदा सेवा की शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के नवीनतम मानव संसाधन मैनुअल–2025 के अनुरूप होंगी।

12 **चयन प्रक्रिया में संशोधन का अधिकारः–**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चयन के किसी भी नियमों और प्रक्रिया में संशोधन करने का अधिकार आरक्षित रखता है। ऐसा कोई भी संशोधन मान्य और बाध्यकारी होगा मिशन आवश्यकतानुसार पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है। मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को बिना कारण बताये सम्पूर्ण प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

13. परिभाषाऍः–

13.1 '' चयन परीक्षा'' का अर्थ **संविदा विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक** के लिए चयन प्रक्रिया का संदर्भ है।

परिशिष्ट–1

Block Program Manager
Roles and Responsibilities:

- Provide managerial and supportive assistance to the concerned BMO in the respective Block.
- Work in close consultation with concerned BMO and other functionaries for ensuring smooth
- and effective implementation of the all national health programmes particularly NHM.
- Create and maintain block database for the health sector including manpower.
- Develop block level plans for optional allocation of resources at each facility.
- Ensure timely collection and compilation of demands and their timely dispatch Assist the BMO in developing the block work plan based on District and State goals.
- Ensure compilation analysis and presentation of relevant information in meaningful formats and
- assist the BMO in making informed decisions (MIS).
- Develop strategies plans to improve the quality of services.
- Undertake regular monitoring of initiatives being implemented in the block and provide regular
- report and feedback to the block.
- Reporting to the officers as per the agreement in the contract especially - Keep records of all
- funds received by the District Health Society and release of funds to various facilities.
- Keep track of expenditure under various heads by all by all health facilities in the Block.
- Shall invariably attend all health related various meeting called in the block.
- Ensure that all reports regarding various programme are sent to District on time.
- Monitoring and spportive supervision.
- cordination to all program officer.
- Any of the tasks assigned by BMO.
- Any of the tasks given by BMO is time to time.

परिशिष्ट–2

संविदा विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक पद की रिक्त संस्था

S.No.	District	Block
1	Anuppur	Pushparajgarh
2	Balaghat	Kirnapur
3	Balaghat	Lanji
4	Betul	Amla
5	Betul	Betul
6	Betul	Bhimpura
7	Bhind	Ater
8	Bhind	Bhind
9	Bhind	Mehgaon
10	Bhind	Mihona (Ron)
11	Chhatarpur	Buxwaha
12	Chhatarpur	Chhatarpur
13	Chhatarpur	Gaurihar(Barigarh)
14	Chhatarpur	Laundi
15	Damoh	Batiyagarh
16	Damoh	Jabera
17	Damoh	Tendukheda
18	Datia	Seondha
19	Dindori	Karanjiya
20	Dindori	Menhadwani
21	Dindori	Shahpura
22	Hoshangabad	Sohagpur
23	Katni	Badwara
24	Katni	Dhimarkheda
25	Mandla	Bichhiya
26	Mandla	Mawai
27	Mandla	Mohgaon
28	Mandla	Narayanganj
29	Morena	Ambah
30	Morena	Kailaras
31	Morena	Morena
32	Morena	Porsa
33	Morena	Sabalgarh
34	Narsinghpur	Gotegaon
35	Sagar	Kesli
36	Sagar	Rehli
37	Sagar	Sagar
38	Sehore	Budni
39	Sehore	Nasrullaganj

40	Seoni	Barghat
41	Seoni	Kahnapas(Ghansaur)
42	Seoni	Lakhnadon
43	Shahdol	Beohari
S.No.	**District**	**Block**
44	Shahdol	Sohagpur
45	Shivpuri	Khaniyadhana
46	Shivpuri	Kolaras
47	Shivpuri	Narwar
48	Shivpuri	Pohri
49	Shivpuri	Shivpuri
50	Sidhi	Sihawal
51	Tikamgarh	Baldeogarh
52	Tikamgarh	Tikamgarh